

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 4(1)(2)नपा/रानिआ/2014/1692

दिनांक: 20/5/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका), (कलक्टर), राजस्थान।

विषय:-नगरपालिका निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-9 में रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करने संबंधी प्रावधान अंकित है। उक्त नियम-9 के प्रावधान निम्नानुसार है। :-

"9. Appointment of returning officers and assistant returning officers.- For the conduct of elections to a municipality, the District Municipal Election Officer may, subject to the provisions of these rules, appoint a returning officer and as many assistant returning officers as he may deem necessary."

उक्त प्रावधानों के अनुसार किसी नगरपालिका के निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, नगरपालिका के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं।

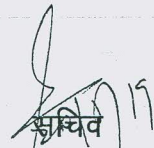
राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 के द्वारा नगरपालिका के अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने संबंधी प्रावधान लागू किए जाने के कारण अध्यक्षीय पदों हेतु भी रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243य के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं, अतः संविधान के अनुच्छेद 243य में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचनों हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 2951 दिनांक 25.07.2014 को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी करता है :-

1. एक अधिकारी को सदस्य एवं अध्यक्षीय दोनों पदों के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।
2. एक अधिकारी को एक से अधिक नगरपालिका हेतु रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

3. नगरपालिका मंडल एवं नगरपरिषद के मामले में रिटर्निंग अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार या इससे उच्च स्तर का अधिकारी होगा।
4. नगरनिगम के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा का चयनित वेतन श्रृंखला या इससे उच्च वेतन श्रृंखला का अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार या इससे उच्च स्तर का अधिकारी होगा।
5. रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आदेश में उनके कार्यालय का पता, स्थाई टेलिफोन/मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई. डी. अंकित कर प्रति राज्य निर्वाचन आयोग एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रेषित की जाए।

आज्ञा से,



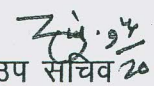
राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 20/5/19

क्रमांक: एफ. 4(1)(2) नपा/रानिआ/2014//693-95
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


उप सचिव 20.5.2019

राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपुर